कम्प्यूटर सं० – 2021029.

पत्रांकः जी0एस0टी0/2020–21/ 372 /वाणिज्य कर

कार्यालय– कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊः दिनांकः 12 नवम्बर, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः– प्रदेश के विभिन्न कारपोरेट सर्किल में/से पंजीकृत व्यक्तियों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

मुख्यालय के पत्र संख्या– विधि/2018–19/431 दिनांक 19 नवम्बर, 2018 से प्रत्येक जोन के 60 सबसे बड़े व्यापारियों (क्रमवार बड़े से) जिनमें, 45 पंजीकृत व्यक्ति माल की आपूर्ति तथा 15 पंजीकृत व्यक्ति सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित हों, की सूची इस आशय से मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी कि, उक्त मानकों के आधार पर प्रत्येक जोन के 60 सबसे बड़े पंजीकृत व्यक्तियों का क्षेत्राधिकार जोन की कारपोरेट सर्किल को प्रदान किया जा सके।

2. मुख्यालय के उक्त पत्र के अनुपालन में सभी जोन से 60 पंजीकृत व्यक्तियों की सूची मुख्यालय प्रेषित की गयी, जिसमें मुख्यालय स्तर से बिना कोई संशोधन किए प्रत्येक जोन की सूची में प्रस्तावित पंजीकृत व्यक्तियों का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित जोन की कारपोरेट सर्किल को प्रदान किया गया।

2.1 मुख्यालय द्वारा सभी जोन की कारपोरेट सर्किल को सम्बन्धित जोन द्वारा प्रस्तावित पंजीकृत व्यक्तियों का क्षेत्राधिकार प्रदान किये जाने के पश्चात् लगभग सभी जोन से मूल सूची में संशोधन के प्रस्ताव मुख्यालय को प्राप्त हुए। विभिन्न जोन से प्राप्त संशोधन प्रस्तावों को उसी रूप में स्वीकार करते हुए लगभग सभी जोन के कारपोरेट सर्किल के क्षेत्राधिकार संशोधित किये गए।

3. हाल ही में कुछ जोन से कारपोरेट सर्किल के क्षेत्राधिकार में पुनः परिवर्तन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विभिन्न जोन से कारपोरेट सर्किल के क्षेत्राधिकार में पुनः संशोधन के प्रस्तावों में मुख्यतया निम्न कारण अंकित हैं–

(i) पंजीकृत व्यक्ति का प्रकरण Liquidation में है।
(ii) वर्तमान में कारपोरेट सर्किल के क्षेत्राधिकार में पंजीकृत कुछ व्यक्तियों का टर्नओवर खण्ड कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में पंजीकृत व्यक्तियों की तुलना में कम है।
(iii) कारपोरेट सर्किल के क्षेत्राधिकार में पंजीकृत कुछ व्यक्तियों की अधिकांश टर्नओवर करमुक्त है।
(iv) कारपोरेट सर्किल में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा व्यापार बन्द कर दिया गया है।
(v) कारपोरेट सर्किल के क्षेत्राधिकार में पंजीकृत व्यक्ति Non GST Goods का सप्लायर है।
(vi) कारपोरेट सर्किल के क्षेत्राधिकार में पंजीकृत व्यक्ति केन्द्रीय कर प्रशासन के क्षेत्राधिकार में है।
(vii) जोन द्वारा प्रेषित सूची में एक ही पंजीकृत व्यक्ति का नाम दो बार अंकित हो गया है।

3.1 उक्त से यह स्पष्ट है कि, जोन द्वारा प्रेषित मूल तथा संशोधन प्रस्ताव सुविचारित नहीं थे तथा सम्यक परीक्षण किये बिना मुख्यालय प्रेषित किये गए। यह स्थिति अन्य जोन में भी सम्भावित है।

4. सभी जोन से खण्डों के पुनर्गठन के प्रस्ताव मुख्यालय प्राप्त हुए हैं, जो विचाराधीन हैं।

5. उक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत कारपोरेट सर्किल के क्षेत्राधिकार में एकरूपता की दृष्टि से निम्न निर्देश दिये जाते हैं–

(i) वित्तीय वर्ष 2020–21 के अन्तिम टैक्स पीरियड का रिटर्न प्रारूप–3बी दाखिल करने की अन्तिम तिथि के एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 की टर्नओवर के आधार पर जोन में पंजीकृत 100 सबसे बड़े पंजीकृत व्यक्तियों को चिन्हित किया जाएगा, उनमें से क्रमावार 60 सबसे बड़े पंजीकृत व्यक्तियों का क्षेत्राधिकार जोन के ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल) को दिये जाने का सुविचारित प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2020–21 के अन्तिम टैक्स पीरियड के रिटर्न दाखिला की अन्तिम तिथि के 15 दिन के अन्दर मुख्यालय प्रेषित किया जाएगा।

(ii) जिन जोन्स में 60 सबसे बड़े पंजीकृत व्यक्तियों में सेवाओं की आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 15 से अधिक है, उन जोन्स के लिए 45 माल की आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों तथा 15 सेवाओं की आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों की सीमा शिथिल की जाती है।

(iii) जिन जोन्स में 60 सबसे बड़े पंजीकृत व्यक्तियों में सेवाओं की आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 15 से कम है, उन जोन्स से सेवाओं की आपूर्ति करने वाले सबसे बड़े 15 पंजीकृत व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा।

(iv) भविष्य में कारपोरेट सर्किल के क्षेत्राधिकार में कोई परिवर्तन अपेक्षित होने पर संशोधन के प्रस्ताव सम्बन्धित वित्तीय वर्ष समाप्त होने के उपरान्त उक्त मानकों के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही मुख्यालय प्रेषित किये जाएगें।

मुख्यालय स्तर पर लम्बित प्रस्ताव सम्बन्धित जोन्स को इस निर्देश के साथ मूलरूप में वापस प्रेषित किये जा रहे हैं कि, कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सुविचारित प्रस्ताव मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।